

आवेदन पत्र

जाति प्रमाण-पत्र

(केवल अबुआ आवास के लिए मान्य)

सेवा में,

ग्राम पंचायत मुखिया / पंचायत समिति सदस्य

पंचायत सचिव,

ग्राम पंचायत देवरी।

विषय — अबुआ आवास योजना हेतु जाति प्रमाण पत्र (मैनवली) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं पिता / पति

..... जाति ग्राम

पोस्ट..... थाना प्रखण्ड देवरी का स्थाई निवासी हूँ।

आगे कहना है कि मुझे अबुआ आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसमें आवास निर्माण हेतु जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ताकि आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकें।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र (मैनवली) निर्गत करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

मुखिया का हस्ताक्षर / पंचायत समिति सदस्य

हस्ताक्षर

पंचायत सचिव हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का अनुशंसा:—

झारखण्ड सरकार
कार्यालय :- अंचल अधिकारी, देवरी।

जाति प्रमाण-पत्र

(केवल अबुआ आवास के लिए मान्य, अन्य प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगा)

संख्या-.....

दिनांक

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/ कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी ग्राम/कस्बा/मोहल्ला डाकघर थाना जिला गिरिडीह राज्य झारखण्ड अनुसूचित/अनुसूचित जन जाति/ पिछडा वर्ग 1 एवं 2/अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत जाति/उप जाति के सदस्य है जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित/अनुसूचित जन जाति/ पिछडा वर्ग 1 एवं 2/अल्पसंख्यक श्रेणी/जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2 श्री/श्रीमति/कुमारी एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गाँव/कस्बा..... प्रखण्ड देवरी जिला गिरिडीह राज्य झारखण्ड में निवास करते है।

अंचल अधिकारी,
देवरी।